फर्द अहकाम
(नियम– 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू.रा.अधि.बाबत रास्ता न. 7 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-01-2021	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने ग्राम नापावाली पटवार मण्डल मांकडी तहसील नीमकाथाना में प्रचलित रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता राजस्व ग्राम नापावाली के भूमि ख0न0 217 में प्रचलित रास्ता ग्रा.पं.नापावाली की आवादी भूमि से पंचायत भवन की और जाने वाले मुख्य मार्ग से ख.न. 217 में प्रारम्भ होकर ख.न. 217 में समाप्त हो जाता है। उक्त रास्ता ग्राम के मुख्य रास्ते से मौहल्ला जाटान तक 58 मीटर लम्बा होकर औसत चौड़ाई 3.5 मीटर है जिसका कुल रकबा 203 वर्ग मीटर है। ख.न. 222 में प्रचलित रास्ता ग्रा.पं. नापावाली की आवादी भूमि से पंचायत भवन की और जाने वाले मुख्य मार्ग से ख.न. 222 से प्रारम्भ होकर ख.न. 222 में ही समाप्त हो जाता है। उक्त रास्ता ग्राम के मुख्य रास्ते से मौहल्ला महलावत हो जोड़ता है जिसकी लम्बाई 140 मीटर व औसत चौड़ाई 3.5 मीटर होकर कुल 490 वर्गमीटर है। ख.न. 242 में प्रचलित रास्ता ग्रा. पं. की आवादी भूमि में प्रचलित रास्ते से ख.न. 242 में प्रारम्भ होकर ख.न. 242 में ही समाप्त हो जाता है, उक्त रास्ता गांव की मुख्य आबादी से मौहल्ला हरिजन को जोड़ता है, जिसकी लम्बाई 105 मीटर व औसत चौड़ाई 3.5 मीटर होकर कुल रकबा 367.5 वर्ग मीटर है। उक्त रास्ते बारहमासी प्रचलित है एवं विगत कई वर्षो से प्रचलित है। जिसको नक्शें में लाईन लाल स्याही से दर्शाया गया है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा ग्राम पंचायत नापावाली का प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण पत्र सलंग्न पेश किये है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जावें। पत्रावली व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार ग्राम नापावाली पटवार हल्का मांकडी तहसील नीमकाथाना की खातेदारी भूमि ख0न0 217 रकबा 0.46 है. में 0.0174 वर्गमीटर, ख.न. 222 रकबा 0.54 है. में 0.043 वर्गमीटर व ख.न. 242 रकबा 0.80 है. में 0.04 वर्गमीटर भूमियों का राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव प्रस्तावित नक्शे अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तद्वानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 04/01/21 (साधुराम जाट) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	